षोडश माला, खंड 20, अंक 5 **मंगलवार, 22 नवम्बर, 2016**
1 अग्रहायण, 1938 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 20 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

कीर्ति यादव
संयुक्त निदेशक

सतीश चन्द्र झा
संपादक

© 2016 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

22.11.2016

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 20, दसवां सत्र, 2016 / 1938 (शक)
अंक 5, मंगलवार, 22 नवम्बर 2016 / 1 अग्रहायण, 1938 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
1* तारांकित प्रश्न संख्या 81 और 82	10-19
	19
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 83 से 100	
अतारांकित प्रश्न संख्या 921 से 1150	

[1]*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

22.11.2016

सभा पटल पर रखे गए पत्र 21-27, 32

लोक लेखा समिति

51वें से 59वां प्रतिवेदन 28-29

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

10वें से 12वां प्रतिवेदन 30

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

276वें से 279वां प्रतिवेदन 30-31

नियम 377 के अधीन मामले 39-76

(एक) बिहार में ऋषि विश्वामित्र की तपोभूमि बक्सर तथा राज्य के अन्य धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पौराणिक स्थलों का राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किए जाने तथा उनका संरक्षण किए जाने की आवश्यकता।

श्री अश्विनी कुमार चौबे 40-42

(दो) देश में गौ अभयारण्य शुरू किए जाने की आवश्यकता।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल 43

(तीन) राजस्थान को सतलुज नदी के जल का आबंटित हिस्सा प्रदान किए जाने तथा भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड में राजस्थान का एक सदस्य नामित किए जाने की आवश्यकता।

श्री निहाल चन्द 44-45

(चार) देश की जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त संख्या में दंत स्वास्थ्य' विज्ञानियों की नियुक्ति किए जाने तथा उन्हें भारतीय दंत परिषद तथा राज्य दंत परिषदों के चुनावों में भाग लेने की अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता।

श्री कौशल किशोर 45

(पाँच) गुजरात के मेहसाना शहर में रेल उपरि पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता।

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल 46

(छह) राजस्थान के भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी गांवों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया 47

(सात) देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विनिर्माण संबंधी सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जाने की आवश्यकता।

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश 48

(आठ) बिहार के औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ऐतिहासिक सूर्य मंदिर तथा अन्य मंदिरों का जीर्णोद्धार किए जाने की आवश्यकता।

श्री सुशील कुमार सिंह 49

(नौ) सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों के समक्ष आ रही समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता।

श्री राघव लखनपाल 50-51

(दस) सुपरफास्ट मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में दैनिक यात्रियों का रेल किराया कम किए जाने की आवश्यकता।

श्री डी. एस. राठौड़ 52

22.11.2016

(ग्यारह) राजस्थान के बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं में बढ़ोतरी किए जाने की आवश्यकता।

कर्नल सोनाराम चौधरी 53-54

(बारह) केरल के कोजिकोड़ जिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तर्ज पर संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

प्रो. रिचर्ड हे 55

(तेरह) राजस्थान के करोली जिले में रेलवे समपार सं 201 के समीप एक अंडरपास निर्माण किए जाने की आवश्यकता।

डॉ. मनोज राजोरिया 56

(चौदह) मध्य प्रदेश के सागर जिले के सर्वांगीण विकास हेतु पर्याप्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता।

श्री लक्ष्मी नारायण यादव 57

(पंद्रह) चित्रकूट धाम-कानपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को लखनऊ तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र 58

(सोलह) केरल के कालीकट में राष्ट्रीय राजमार्ग सं 66 और 766 पर भीड़भाड़ को कम करने की आवश्यकता।

श्री एम.के. राघवन 59

(सत्रह) अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को चीन द्वारा वीजा देने से इंकार किए जाने के बारे में।

श्री निनोंग इरिंग 60

(अठारह) मेत्तुपलायम और वायनाड़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं 181 का चौड़ीकरण किए जाने के बारे में।

श्री पी. नागराजन 61

(उन्नीस) तमिलनाडु में चेन्नई सेंट्रल और इरोड के बीच कावेरी रेलवे स्टेशन पर यरकौड एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता।

श्री एस. सेल्वाकुमार चिन्नैयन 62

(बीस) प्रधानमंत्री जन धन योजना के क्रियान्वयन में कथित धोखाधड़ी के बारे में।

श्री सुल्तान अहमद 63

(इक्कीस) पश्चिम बंगाल के आराम बाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता।

श्रीमती अपरूपा पोद्दार 64

(बाईस) भारत में सस्ती कैंसर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता।

श्री रवीन्द्र कुमार जेना 65

(तेईस) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के शिर्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 'प्रवर निलवंडे' परियोजना को सम्मिलित किए जाने तथा इस प्रयोजन हेतु पर्याप्त निधियों का आवंटन किए जाने की आवश्यकता।

श्री सदाशिव लोखंडे 66-68

22.11.2016

(चौबीस) आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम को स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता।

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु 69

(पच्चीस) सितंबर, 2016 के दौरान तेलंगाना में हुई अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान की भरपाई किए जाने की आवश्यकता।

श्री बी. विनोद कुमार 70

(छब्बीस) त्रिपुरा के शेष चार जिलों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

श्री जितेन्द्र चौधरी 71

(सत्ताईस) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत नकली बीजों की किस्मों तथा जंगली पशुओं के कारण फसलों को होने वाली हानि को सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता।

श्री दुष्यंत चौटाला 72

(अट्ठाईस) बिहार में बाढ़ के कारण जान-माल की हानि से पीड़ित लोगों के पुनर्वास हेतु राज्य को पर्याप्त राहत निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता।

श्री कौशलेन्द्र कुमार 73-74

(उनतीस) मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता।

श्री राजू शेट्टी 75-76

22.11.2016

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तम्बिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी
श्री हुक्मदेव नारायण यदव
श्री आनंदराव अडसुल
श्री प्रह्लाद जोशी
डॉ. रत्ना डे (नाग)
श्री रमेन डेका
श्री कोनाकल्ला नारायण राव
श्री हुकुम सिंह
श्री के.एच. मुनियप्पा
डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

22.11.2016

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

मंगलवार, 22 नवम्बर, 2016 / 1 अग्रहायण, 1938 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

22.11.2016

[2]प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिंदी]

माननीय अध्यक्ष : क्वैश्चन ऑवर।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्वैश्चन नम्बर - 81, श्रीमती रमा देवी जी।

(प्रश्न संख्या 81)

... (व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

(इस समय सर्वश्री कल्याण बनर्जी, के. सी. वेणुगोपाल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[हिंदी]

श्रीमती रमा देवी: महोदया, पड़ोसी देश पाकिस्तान आज हम से इतना पीछे है कि वह हमारा सामना किसी भी क्षेत्र में नहीं कर सकता है।... (व्यवधान) परन्तु, घटिया तरीके से घुसपैठ करवा कर, ड्रग्स भेज कर, नकली नोट भिजवाकर, आतंकवादियों द्वारा भारतीय सेनाओं पर आक्रमण करवा कर पाकिस्तान कश्मीर में अशांति फैला रहा है।... (व्यवधान) राज्य सरकार कश्मीरी अलगाववादी नेताओं को वी.वी.आई.पी. ट्रीटमेंट देती है तथा उनके ऐशो-आराम, जैसे उनके देश-विदेश के दौरे के लिए व कश्मीर के बाहर जाने पर टिकट, होटल एवं सवारी की

---

[2] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

सुविधा तथा सुरक्षा भी देती है।... (व्यवधान) उनकी सुरक्षा इत्यादि पर सालाना लगभग 100 करोड़ रू. खर्च होते हैं। ... (व्यवधान) उसका 90 प्रतिशत हिस्सा हमारे केन्द्र से तो नहीं जाता है, परन्तु इसके बावजूद कश्मीर में अलगाववादियों द्वारा समय-समय पर पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की जाती है और पाकिस्तान के झंडे लहराये जाते हैं। ... (व्यवधान) वे कश्मीर मुद्दे पर भारत सरकार की नीतियों एवं बैठकों का बहिष्कार करते हैं।... (व्यवधान) अलगाववादियों के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे बच्चों के स्कूलों को जलाया जाता है।... (व्यवधान) उन्होंने कई स्कूलों को जला दिया, जहां गरीब एवं मध्यम वर्ग के कश्मीरी छात्र पढ़ते हैं। ... (व्यवधान) वे उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय करते हैं।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं अपने पूरक प्रश्न के माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी एवं हिंसक घटनाओं में संलिप्त व्यक्तियों और उन्हें सहायता करने वाले तत्वों को चिन्हित करने एवं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वे क्या सोच रखते हैं? ... (व्यवधान)

मैं यह भी कहना चाहती हूं कि आधिकार छोड़ कर बैठ जाना ठीक काम नहीं है, निःस्वार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है।... (व्यवधान)

श्री किरेन रिजीजू : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्या जी ने सही कहा है कि समय-समय पर पाकिस्तान और सीमा के उस पार से जो गतिविधियां होती हैं, उनसे प्रभावित हो कर, जम्मू-कश्मीर में कुछ लोग ऐसे काम में लगे हुए हैं, जिससे वहां का शांतिपूर्ण वातावरण खराब हो।... (व्यवधान) इसलिए गृह मंत्रालय की ओर से राज्य सरकार के साथ मिल कर, वहां का जीवन कैसे सामान्य रूप से चले, इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए काफी कदम उठाये गये हैं।... (व्यवधान) यह भी सच है कि कुछ सैपरेटिस्ट लोग, जिनको सिक्योरोटी भी दी

गई है।... (व्यवधान) साथ-साथ वे कहीं बाहर जाकर कार्यक्रम में भी हिस्सा लेते हैं, जो भारत विरोधी होते हैं।... (व्यवधान)

मैं माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी निजी तौर पर सारे मामले का जायजा लेते रहे हैं और इस वजह से हालात सुधारने में काफी मदद मिली है।... (व्यवधान) आपने देखा होगा कि पत्थर फेंकने की घटना और जो दूसरी घटनाएं भी होती थीं, उनकी संख्या में काफी कमी आई है।... (व्यवधान) हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार मिलकर जम्मू-कश्मीर के हालात को जल्द सुधारेंगे।... (व्यवधान)

श्रीमती रमा देवी : महोदया, माननीय मंत्री जी के जवाब से सबसे ज्यादा संतुष्टि इस बात की हो रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने काले धन के लिए नोटबंदी का जो फैसला लिया है, उससे आतंकवादियों, माओवादियों, ड्रग्स माफिया को होने वाली फंडिंग पर रोक लगी है तथा स्कूलों में आगजनी भी बंद हुई है।... (व्यवधान) इससे स्पष्ट होता है कि भारत विरोधी लोगों को पत्थरबाजी करने के लिए पांच सौ और एक हजार रुपए के नोटों से सहायता मिलती थी।... (व्यवधान) आज यह सहायता भारत विरोधी लोगों को नहीं मिल रही है, इसलिए वे शांत हो गए हैं। इस बात का हमें बहुत संतोष हो रहा है।... (व्यवधान) मैं प्रधानमंत्री जी को दिल से बधाई देना चाहती हूं कि आपने इस तरह के जो निर्णय लिए हैं, उनसे लोगों में बहुत संतोष है तथा इन लोगों में जो असंतोष है, उसे पूरा देश देख रहा है।... (व्यवधान) इनके अपने जीने के फेर में ये सारी कहानी हो रही है।... (व्यवधान) हमने मुआयना किया है और जो लोग चार-पांच घंटे लाइन में लगे होते हैं, वे भी संतुष्ट हैं कि जो हो रहा है, वह बहुत अच्छा हो रहा है।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, सदन में जो अशांति का वातावरण बनाया जा रहा है, उसे सारा देश देख रहा है और इन लोगों को सबक भी सिखाएगा।... (व्यवधान) इस बारे में मैं एक बात कहना चाहती हूं -

"तुम्हें वफा याद नहीं, मुझे जफा याद नहीं,
जिंदगी और मौत के दो ही तराने हैं,
तुम्हें वफा याद नहीं तो मुझे जफा भी याद नहीं। "

श्री किरेन रिजीजू: महोदया, माननीय सदस्या का कहना बिलकुल सही है कि प्रधानमंत्री जी ने 8 नवम्बर, 2016 को हाई करेंसी नोट्स के विमुद्रीकरण की जो घोषणा की है, उसका सबसे जोरदार असर यह हुआ है कि सरहद पार से जो फेक करेंसी नोट्स सप्लाई होते थे, वह लगभग बंद हो गये हैं।... (व्यवधान) 8 नवम्बर के बाद से अभी तक पाकिस्तान बार्डर से इस तरह की कोई घटना की खबर नहीं आई है, जिसमें कि लोगों को पांच सौ और हजार रुपए के नोट देकर पत्थरबाजी कराते थे। इस तरह की घटनाएं बंद हो गई हैं तथा नोटबंदी से और भी फायदे हुए हैं।... (व्यवधान) विपक्ष सदन में हंगामा कर रहा है, इसलिए मैं अभी ज्यादा बता नहीं सकता हूं, लेकिन टैरर फंडिंग में नोटबंदी का सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है।... (व्यवधान)

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा: अध्यक्ष महोदया, सरकार ने जवाब दिया है कि सुरक्षा वर्गीकरण की समीक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाती है।... (व्यवधान) इस मामले में हम राज्य सरकार पर कितना भरोसा करते हैं?... (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो राज्य सरकारें ठीक तरह से समीक्षा नहीं कर पाती हैं, उन पर भारत सरकार क्या देख-रेख रखती है?... (व्यवधान)

श्री किरेन रिजीजू: महोदया, जैसा कि संविधान में प्रावधान है कि किसी भी राज्य के लॉ एंड आर्डर की जिम्मेदारी वहां की राज्य सरकार की होती है और आंतरिक सुरक्षा की पूरी की पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है।... (व्यवधान) जम्मू-कश्मीर में जो हालत है, उसे ठीक

करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर ही काम करना पड़ेगा, अन्यथा हम इस काम को सफलतापूर्वक अंजाम नहीं दे पाएंगे। इसीलिए समय-समय पर सुरक्षा जायजा लिया जाता है कि किसको किस श्रेणी में सिक्योरिटी दी जाए, यह सेन्ट्रल एजेंसीस और स्टेट मिलकर तय करते हैं।... (व्यवधान) माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार मिलकर कोऑपरेट कर रहे हैं... (व्यवधान) और आज के दिन जम्मू-कश्मीर सरकार और केन्द्र सरकार तालमेल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इसका असर भी देखने को मिल रहा है।... (व्यवधान)

श्री थुपस्तान छेवांग: अध्यक्ष महोदया, ज्यादातर आतंकवादी गतिविधियां जम्मू-कश्मीर के एक ही भाग कश्मीर घाटी में होती हैं।... (व्यवधान) इसका असर लद्दाख में बिलकुल नहीं है और जम्मू के केवल कुछ ही क्षेत्रों में इसका असर है।... (व्यवधान) चिंता की बात यह है कि जितनी डेवलपमेंटल एक्टीविटीज़ हैं, उनका असर जम्मू-कश्मीर के दूसरे भागों पर भी होता है और जो धन आवंटित होता है... (व्यवधान) उसका पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाता है,... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जो धन कश्मीर वादी में काम न करने की वजह से खर्च नहीं हो पाता है... (व्यवधान) क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करेगी कि उस धन को जहां शांति है और जहां काम ठीक ढंग से चल रहा है, वहां खर्च किया जा सके?... (व्यवधान)

दूसरी चिंता यह है, जैसा कि उत्तर में कहा गया है कि जितने भी आतंकवादी हैं, उनकी सांठ-गांठ हमारे दुश्मन देशों के साथ है।... (व्यवधान) यह अभी तक केवल कश्मीर वादी तक सीमित है, लेकिन डर यह है कि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है... (व्यवधान) जैसा कि उत्तर में कहा गया है कि जो आतंकवादी नेता हैं, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है,... (व्यवधान) उनको सुरक्षा दी जाती है और उनको हर तरह की सुरक्षा उपलब्ध करवायी

जाती है,... (व्यवधान) कहीं यह रियासत के दूसरे हिस्सों तक न फैल जाए तो क्या सरकार ने इसका कोई असैसमेंट किया है और इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?... (व्यवधान)

श्री किरेन रिजीजू: अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले तो मैं क्लीयर करना चाहता हूं कि कश्मीर में जिस भी सैपरिस्ट लीडर को सिक्योरिटी दी जाती है... (व्यवधान) उसका प्रावधान और प्रोविजन राज्य सरकार करती है।... (व्यवधान) वह हमें इस बारे में जानकारी जरूर देते हैं... (व्यवधान) लेकिन जितनी भी सिक्योरिटी दी जाती है, वह राज्य सरकार मुहैया कराती है।... (व्यवधान) दूसरा, ऐसा नहीं है कि सुरक्षा देने के बावजूद वह हिन्दुस्तान के विरुद्ध काम करते रहेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा बिलकुल नहीं है।... (व्यवधान) जो सैपरिस्ट लीडर्स हैं, उनसे जुड़े हुए काफी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है।... (व्यवधान) बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है, कुछ लोग बाहर भी हैं, इस बारे में डिटेल अभी मैं बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन यदि कोई किसी भी राज्य में देश विरोधी कार्रवाई करता है,... (व्यवधान) तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।... (व्यवधान)

दूसरी बात, माननीय सदस्य ने सही कहा कि वहां आतंकवाद की समस्या केवल कश्मीर घाटी में है।... (व्यवधान) जम्मू में सामान्य रूप से जिंदगी चल रही है और लद्दाख हिन्दुस्तान की सबसे शांतिप्रिय जगहों में से एक है। लद्दाख में इसका प्रभाव न पड़े, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है।... (व्यवधान) अभी हाल ही में गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह का दौरा हुआ था।... (व्यवधान) वहां के सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और वहां के काफी लोगों से लद्दाख में मुलाकात की थी... (व्यवधान) और सभी को आश्वस्त किया कि कश्मीर घाटी में समस्या हो, लेकिन उसका असर लद्दाख क्षेत्र में नहीं होना चाहिए और लद्दाख को सरकार की तरफ से जो भी मदद होगी, दी जाएगी।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह बात ठीक नहीं है। मैं इस तरफ खड़े लोगों को बताना चाहूंगी कि आपको टीवी पर दिखाएंगे, लेकिन आप इस तरफ आ जाइए। आप सब को टीवी पर दिखाएंगे, लेकिन आप लोग मंत्री जी को डिस्टर्ब मत कीजिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: आप मंत्री जी को परेशान नहीं कर सकते।

... (व्यवधान)

[हिंदी]

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, क्या आपका रिप्लाई हो गया है?

... (व्यवधान)

श्री किरेन रिजीजू : महोदया, यह वाला हो गया है।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: नहीं, यह उचित नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यदि आप चर्चा करना चाहते हैं, तो आप चर्चा कर सकते हैं। [हिंदी] आप लोग चर्चा में भाग लीजिए और लोगों की तकलीफ सरकार के सामने रखिए। मगर यह तरीका सही नहीं है। [अनुवाद] यह उचित नहीं है।

... (*व्यवधान*)

[हिंदी]

माननीय अध्यक्ष : आप लोगों को शोर करना है तो करते रहिए।

... (व्यवधान)

22.11.2016

माननीय अध्यक्ष : यह लोगों की तकलीफ रखने का तरीका नहीं है। आई एम सॉरी, आप चर्चा कर सकते हो, आपको चर्चा करने का आधिकार है, लेकिन यह तरीका ठीक नहीं है। प्लीज, आप अपनी सीटों पर जाइये।

... (व्यवधान)

22.11.2016

(प्रश्न संख्या 82)

श्री हुकुम सिंह: अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न देश के किसानों से संबंधित है। भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, लेकिन यह जानकर दुख होता है कि हमारी कृषि पैदावार विश्व के औसत से भी कम आ रही है, यह दुख की बात है। ... (व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने कई देशों का विवरण दिया है, जिसमें चीन भी शामिल है और यूरोप के देश भी शामिल हैं। हमारी पैदावार उनसे भी कम आ रही है। इसका जो कारण माननीय कृषि मंत्री जी ने बताया है, मैं उससे सहमत होते हुए कुछ दूसरे कारण भी बताना चाहता हूं। ... (व्यवधान) मेरा कृषि मंत्री जी से आग्रह है कि जो कारण मैं बता रहा हूं, आप उनका भी संज्ञान लेने की कृपा करें, ताकि कुछ सुधार हो सके। ... (व्यवधान) कृषि उत्पादन में कमी की मुख्य बात यह है कि हमारे यहां छोटी जोतें हैं और औसत जोत बहुत कम है, उसके लिए अभी तक हम कोई भी ऐसी मशीनरी किसानों को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं कि वे समय के अंदर जुताई कर लें और समय के अंदर बुवाई भी कर लें। ये दोनों बातें बहुत जरूरी थीं और इनके ऊपर सरकार का ध्यान जाना चाहिए।... (व्यवधान)

दूसरी बात कोई भी किसान इस स्थिति में नहीं है कि वह अपने पैसों से अपने आधार पर मशीन खरीद सके। अनुदान की व्यवस्था और ज्यादा प्रभावी नहीं होनी चाहिए। इसका उत्तर आ जाए तो मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगा। ... (व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह: महोदया, माननीय सदस्य किसान की चिंता कर रहे हैं, किसान का सवाल आया है, उस पर इनकी चिंता जायज है।... (व्यवधान) इन्हें मेरे उत्तर को सुनना चाहिए और किसान से संबंधित प्रश्नों में भाग लेना चाहिए। ये तथाकथित किसान हैं, फिर भी इन्हें मेरी बातों को सुनना चाहिए कि जो वैश्विक औसत उत्पादन है, उससे हमारे देश का औसत कम है, ऐसा इसलिए है, क्योंकि विदेशों में एक वर्ष में एक फसल लेते हैं और हमारे यहां आधिकतर फसलें एक वर्ष में दो बार लेते हैं। ... (व्यवधान) लेकिन अगर उस तुलना की दृष्टि से पर डे

उत्पादन देखें तो वह लगभग विश्व के उत्पादन के बराबर ही है। ... (व्यवधान) उसका कारण यह है कि वे साल में एक फसल लेते हैं और हम दो फसलें लेते हैं। लेकिन हमारे देश में दो फसलों के कारण जो पर डे उत्पादन है, वह विश्व के उत्पादन के लगभग बराबर है। ... (व्यवधान)

जहां तक प्रयासों का सवाल है, कस्टम हायरिंग सैंटर के लिए राज्यों को पैसे दिये जा रहे हैं। मोदी सरकार आने के बाद इस पर एक कृषि यंत्रीकरण की योजना चली है और हम राज्यों को कस्टम हायरिंग सैंटर के लिए राशि दे रहे हैं,... (व्यवधान) ताकि छोटे किसान, मझोले किसान उसे किराये पर लेकर अपनी खेती करें। ... (व्यवधान)

जहां तक अन्य प्रश्नों का सवाल है, हम बताना चाहेंगे कि 2014-15 में 12 प्रतिशत कम बारिश हुई थी और 2015-16 में 14 प्रतिशत कम बारिश हुई थी। ... (व्यवधान) बावजूद इसके उत्पादन पर इतना असर इसलिए नहीं पड़ा, क्योंकि देश में जो लगभग 445 क्लाइमेट रिजिलेंट वैरायटी हैं, उन्हें सरकार ने रिलीज किया था, जिसकी वजह से विपरीत परिस्थिति के कारण भी उत्पादन पर जितना असर पड़ना चाहिए, उतना असर नहीं पड़ा।

माननीय अध्यक्ष : मुझे बहुत दुख होता है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप वास्तव में अगर जनप्रतिनिधि हैं तो आपको जनता के सुख-दुख की चर्चा करनी चाहिए।

[अनुवाद]

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: सभा मध्याह्न 12 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

<u>पूर्वाह्न 11.21 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

22.11.2016

<u>प्रश्नों के लिखित उत्तर</u>[3]

तारांकित प्रश्न संख्या 83 से 100

अतारांकित प्रश्न संख्या 921 से 1150

[3] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

22.11.2016

<u>मध्याह्न 12.00 बजे</u>

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुन: समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुई)

... (व्यवधान)

[हिंदी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे सर्वश्री मल्लिकार्जुन खड़गे, कमल नाथ, सुदीप बन्दोपाध्याय, के.सी.वेणुगोपाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, के.एन. रामचन्द्रन, राजेश रंजन, प्रो0 सौगत राय, श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर, सर्वश्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, जय प्रकाश नारायण यादव, एन.के. प्रेमचन्द्रन, धर्मेन्द्र यादव, डॉ. ए. सम्पत, सर्वश्री एंटो एंटोनी, मो0 सलीम, मो0 बदरूद्दोजा खान, पी. करूणाकरन, जितेन्द्र चौधरी और श्री कोडिकुन्नील सुरेश से विभिन्न विषयों पर कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं परन्तु इनके लिए आज की सभा की कार्यवाही में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है। इन मामलों को अन्य अवसरों के माध्यम से भी उठाया जा सकता है।

इसलिए मैंने कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

... <u>(व्यवधान)</u>

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर) : मैडम, कुछ तो बोलने दीजिए।... (व्यवधान)

22.11.2016

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगें।

... (व्यवधान)

[हिंदी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान): महोदया, मैं विधिक माप-विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) विधिक माप-विज्ञान (सामान्य) संशोधन नियम, 2016 जो 9 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं0सा0का0नि0875(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) विधिक माप-विज्ञान (पैकेजबंद सामग्री) (संशोधन) नियम, 2016 जो 7 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं0सा0का0नि0858(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 5345/16/16]

... (व्यवधान)

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनिल माधव दवे): महोदया, मैं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 63 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना सं0सा0का0नि0433(अ) जो 21 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (चेयरमैन की अर्हताएं तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2015 का निरसन किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 5346/16/16]

22.11.2016

..(व्यवधान)

22.11.2016

<u>अपराह्न 12.02 बजे</u>

(इस समय सर्वश्री सुल्तान अहमद, कांति लाल भूरिया, धर्मेंद्र यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

... (व्यवधान)

(अनुवाद)

माननीय अध्यक्ष: श्री परषोत्तम रूपाला

… (व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) असम राइफल्स अधिनियम, 2006 की धारा 167 के अंतर्गत आसाम राइफल्स पैरा-मेडिकल स्टाफ (फार्मासिस्ट, समूह "ग" योद्धक पद) भर्ती नियम, 2016 जो 16 जुलाई, 2016 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 125 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) |

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 5350/16/16]

(2) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप धारा (3)के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, दूरसंचार संवर्ग (समूह 'ख' ओर 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 जो 26 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 817(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पायनियर काडर समूह 'ख' और 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 जो 26 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 818(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सामान्य ड्यूटी काडर (समूह 'ख' और ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 जो 26 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 819(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, निरीक्षक (पुस्तकालायाध्यक्ष) समूह 'ख'और' ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 जो 26 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 820(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी.5351/16/16]

… (*व्यवधान*)

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबुल सुप्रियो): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(एक) वर्ष 2016-2017 के लिए इंस्ट्मेंटेशन लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5352/16/16]

(दो) वर्ष 2016-2017 के लिए राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एंड इंस्ट्मेंटेशन लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5353/16/16]

(तीन) वर्ष 2016-2017 के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5354/16/16]

(चार) वर्ष 2016-2017 के लिए ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5355/16/16]

… (*व्यवधान*)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2016 का संख्यांक 28) (राजस्व

विभाग-प्रत्यक्ष कर)-अवसंरचना विकास में लगे हुए निर्धारितियों को मौका देना।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5356/16/16]

(दो) मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार(2016 का संख्यांक 29) -संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5357/16/16]

(2) राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा(1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-2017 की पहली तिमाही के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की तिमाही समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5358/16/16]

… (व्यवधान)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री, पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल. मांडविया): महोदया, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

22.11.2016

(1) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पोलीमर लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पोलीमर लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 5359/16/16]

… (*व्यवधान*)

22.11.2016

अपराह्न 12.02 ½ बजे

लोक लेखा समिति

51वें से 59वां प्रतिवेदन

(अनुवाद)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदया, मैं लोक लेखा समिति (2016-17) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) 'भारतीय तटरक्षक बल की भूमिका तथा कार्यकरण' के बारे में समिति के 21वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उनकी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 51वां प्रतिवेदन।

(2) 'सी.जी.एच.एस. में एलोपैथिक दवाइयों की खरीद' के बारे में समिति के 22वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उनकी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 52वां प्रतिवेदन।

(3) भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन संख्यांक 17 के पैरा 5.1 पर आधारित 'भारत संचार निगम लिमिटेड में भू-प्रबंधन ' विषय पर 53वां प्रतिवेदन।

(4) 'रेल वित्त' के बारे में समिति के 15वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उनकी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 54वां प्रतिवेदन।

(5) 'भारतीय रेल में सिविल अभियांत्रिकी कार्यशालाएं, सोन नदी पर नए रेलवे पुल के निर्माण में विलंब और संकेत तथा दूरसंचार' के बारे में समिति के 5वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उनकी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 55वां प्रतिवेदन।

(6) "मंत्रालयों/विभागों द्वारा भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की गैर-चयनित लेखापरीक्षाओं पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों को समय पर प्रस्तुत किए जाने में अननुपालन' के बारे में समिति के पहले प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उनकी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 56वां प्रतिवेदन।

(7) 'जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)' के बारे में समिति के 18वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उनकी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 57वां प्रतिवेदन।

(8) 'मंत्रालयों/विभागों द्वारा भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की गैर-चयनित लेखापरीक्षाओं पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों को समय पर प्रस्तुत किए जाने में अननुपालन' के बारे में समिति के 20वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उनकी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 58वां प्रतिवेदन।

(9) 'भारतीय नौसेना युद्धपोतों का स्वदेशी विनिर्माण' के बारे में समिति के 32वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उनकी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 59वां प्रतिवेदन।

… (*व्यवधान*)

22.11.2016

अपराह्न 12.03 बजे

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

10वें से 12वां प्रतिवेदन

(अनुवाद)

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): महोदया, मैं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के दसवें, ग्यारहवें और बारहवें प्रतिवेदन 4* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:

… (*व्यवधान*)

अपराह्न 12.04 बजे

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

276वें से 279वां प्रतिवेदन

[हिंदी]

श्री रामसिंह राठवा (छोटा उदयपुर): महोदया, मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ : -

(1) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में समिति के 274वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 276वां प्रतिवेदन।

4* **ये प्रतिवेदन अध्यक्ष के निदेश के निदेश 71क के अंतर्गत 14 अक्तूबर, 2016 को, जब सभा सत्र में नहीं थी, माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किए गए थे और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।**

(2) भारी उद्योग और लोक उद्यम (भारी उद्योग विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में समिति के 273वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 277वां प्रतिवेदन।

(3) सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में समिति के 275वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 278वां प्रतिवेदन।

(4) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्यम विभाग) से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के उपबंधों की समीक्षा के बारे में समिति के 272वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 279वां प्रतिवेदन।

… (*व्यवधान*)

22.11.2016

<u>अपराह्न 12.04 ½ बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र-जारी

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मद संख्या 4, श्री एस. एस. अहलुवालिया।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. अहलुवालिया): श्री परषोत्तम रूपाला की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 1989-1990 से 1991-1992 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 5347/16/16]

(दो) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 1989-1990 से 1991-1992 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 5348/16/16]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 5349/16/16]

… (*व्यवधान*)

22.11.2016

(अनुवाद)

माननीय अध्यक्ष: अब, 'शून्य काल' लिया जाएगा।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण~~, मैं आपको~~ अनुमति दूंगी। सबसे पहले, आप अपने-अपने स्थान पर वापस चले जाएं। मैं आप सभी को 'शून्य काल' में अनुमति दे रही हूँ। आप जो चाहे कह सकते हैं। लेकिन कृपया पहले अपने-अपने स्थान पर वापस जाएं।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: हां, संसदीय कार्य मंत्री श्री अनन्तकुमार जी।

... (*व्यवधान*)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से इन सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूँ। उन्हें अपने-अपने स्थान पर वापस जाना चाहिए।

[हिंदी]

मैं सबसे निवेदन करूँगा कि भारत सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। हर पहलू पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि हमारे विपक्ष के लोग काले धन के पक्ष में हैं, हमारे विपक्ष के लोग आतंकवाद के पक्ष में हैं, जाली नोट के पक्ष में हैं। पूरे देश की जनता मोदी सरकार की इस पहल के साथ है, मोदी सरकार के साथ है। ... (व्यवधान) हाउस का और बाहर का सेन्स काले धन को मिटाने के बारे में है, इसके खिलाफ संघर्ष करने के बारे में है। ... (व्यवधान) अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि प्रश्न काल मैम्बर्स का राइट होता है। ज़ीरो आवर मैम्बर्स का राइट होता है। प्रश्न काल और ज़ीरो आवर आपका राइट है। इसको आप चलाइए। ... (व्यवधान) हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, अभी से चर्चा करने के लिए तैयार हैं।

... (व्यवधान) आप जब हुक्म करेंगे, तब से चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ... (व्यवधान) पूरी चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप बोलिये।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मैडम स्पीकर, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम चर्चा के लिए तैयार नहीं हैं। ... (व्यवधान) हम भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है। ... (व्यवधान) लेकिन हम यह चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ रहें, हमारी बात सुनें और हमने जो एडजर्नमैंट मोशन मूव किया है, उसको आप एडमिट कीजिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एडजर्नमैंट मोशन पर तो निर्णय हो गया है।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, मैं आपसे एक ही विनती करूँगा, एक ही लफ्ज़ आपके बारे में बोलूँगा।

"लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती,
बस एक माँ है जो मुझसे खफ़ा नहीं होती।"

इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप प्राइम मिनिस्टर को बुलाइए। ... (व्यवधान) हम एडजर्नमैंट मोशन चाहते हैं क्योंकि सारे देश में गरीब लोग मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, शादियाँ टूट रही हैं, अन-आर्गनाइज्ड मज़दूर मर रहे हैं, प्लांटेशन वर्कर्स को मज़दूरी नहीं मिल रही है, बीड़ी वर्कर्स और इतने लोग तबाह और तंग हैं। ... (व्यवधान) प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को आना चाहिए, उनको प्रैज़ैंट रहना चाहिए, हमारी बात को सुनना चाहिए। ... (व्यवधान) आप अगर नहीं देंगे तो बहुत बड़ा अन्याय देश के ऊपर होगा, देश की जनता के ऊपर होगा। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि हमारे एडजर्नमैंट मोशन को आप लीजिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, माँ भी यह चाहती है कि सब बच्चे मिल-जुलकर रहें, मिल-जुलकर चर्चा करें। माँ यही चाहती है। [अनुवाद] मैं आपसे विनती कर रही हूं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: हाँ, सुदीप जी।

... (व्यवधान)

[हिंदी]

श्री अनन्तकुमार: अध्यक्ष जी, मैं खड़गे जी से इतना ही कहना चाहूँगा कि जनता की आवाज़ बहुत साफ है। जनता ने मध्य प्रदेश के शहडोल में और असम में, दोनों में भारतीय जनता पार्टी को जिताया, नरेन्द्र मोदी को जिताया और जनादेश दे दिया कि हम कालेधन के खिलाफ हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। हम स्वच्छ भारत आभियान के साथ हैं, यह बता दिया है। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): अध्यक्ष महोदया, तृणमूल कांग्रेस का निवेदन यह है कि ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है, [हिंदी] सुदीप जी, एक मिनट बैठिये। आप मेरी भी बात समझ लें। मैं हर पार्टी की बात सुनने को तैयार हूँ, लेकिन इस तरह से हल्ला भी करो और हर पार्टी का नेता भी बोले।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मैं आप सभी की बात सुनने के लिए तैयार हूं।

जी कहिये।

श्री सुदीप बंदोपाध्याय: महोदया, मैं यह कह रहा हूं कि अध्यक्षपीठ, इस सदन की संरक्षक होने के नाते, आप इस एक दृढ़ निर्णय लें कि इस मामले पर चर्चा की जानी है। यदि इस मामले पर स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा की जाती है तो इसमें क्या गलत है? हम समझ नहीं पा रहे। इसमें क्या गलत है? सरकार आगे क्यों नहीं आ रही है? यदि सभा में उथल-पुथल की स्थिति बनी रहती है, तो इसके लिए सत्ताधारी दल ज़िम्मेदार होता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए विपक्षी दल जिम्मेदार हैं।

हम एक सकारात्मक वाद-विवाद की मांग कर रहे हैं। हम अपनी बात रखना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष: अध्यक्षपीठ भी वाद-विवाद के लिए तैयार है लेकिन स्थगन प्रस्ताव के तहत नहीं।

… (*व्यवधान*)

श्री सुदीप बंदोपाध्याय: हम माननीय प्रधानमंत्री जी को सभा में उपस्थित देखना चाहते हैं। आइए हम अपनी बात रखें ... (*व्यवधान*) आप इस अवसर पर आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? आप इस अवसर पर आगे आएं... (*व्यवधान*)

श्री अनन्तकुमार: महोदया, हम वाद-विवाद के लिए तैयार हैं। … (*व्यवधान*) मैं तृणमूल कांग्रेस के नेता और मेरे मित्र श्री सुदीप जी से कहना चाहता हूं कि *भारत सरकार* अर्थात् भारतीय की सरकार वाद-विवाद के लिए तैयार है।... (*व्यवधान*)

हम इस सभा में वाद-विवाद के लिए तैयार हैं; हम दूसरे सदन में वाद-विवाद के लिए तैयार हैं; और बाहर भी वाद-विवाद के लिए तैयार हैं। लेकिन वे रचनात्मक वाद-विवाद नहीं कर रहे हैं… (*व्यवधान*)

इस समय, अध्यक्ष महोदया, हम वाद-विवाद के लिए तैयार हैं। मुझे नहीं पता कि वे वाद-विवाद से क्यों भाग रहे हैं ...। (*व्यवधान*)

दोनों स्थानों पर, नामतः सागर, मध्य प्रदेश और असम में, भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विजय प्राप्त की है। संकेत क्या है? ... (*व्यवधान*) देश के लिए यह संकेत है कि 'भारत के नागरिक श्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं और भारत के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ इस धर्मयुद्ध के साथ हैं। यह संदेश पूरे देश में जा रहा है ..... (*व्यवधान*)

महोदया, हम वाद-विवाद के लिए तैयार हैं। उन्हें अपने स्थानों पर वापस जाने दें। मैं फिर से उनसे सहयोग करने का अनुरोध कर रहा हूं ...। (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: हां, डॉ. वेणुगोपाल जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आप सभी सभा पटल के निकट आ गए हैं। यह कोई तरीका नहीं है। मुझे खेद है।

... (*व्यवधान*)

डॉ. पी. वेणुगोपाल (तिरुवल्लूर): अध्यक्ष महोदया, हमने भी इस संबंध में एक नोटिस दिया है कि "सरकार द्वारा नोटबंदी की घोषणा के बाद देश में ₹500 और उससे कम राशि के नोटों की कमी और बैंकों और ए.टी.एम. पर भीड़भाड़ के कारण आम लोगों को कितनी परेशानी हो रही है।"

इस मामले पर, हम चर्चा करना चाहते हैं और हम पहले ही इस पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना दे चुके हैं .....(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है। यह इस तरह नहीं होगा।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आप इस पर चर्चा नहीं चाहते हैं!

… (*व्यवधान*)

22.11.2016

<u>अपराह्न 12.14 बजे</u>

नियम 377 के अधीन मामले 5*

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे माने जाएंगे। सदस्यगण प्रक्रिया के अनुसार मामले की सूचना व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर दे सकते हैं।

… (*व्यवधान*)

5*सभा पटल पर रखे गए माने गए।

22.11.2016

(एक) बिहार में ऋषि विश्वामित्र की तपोभूमि बक्सर तथा राज्य के अन्य धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पौराणिक स्थलों का राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किए जाने तथा उनका संरक्षण किए जाने की आवश्यकता।

[हिंदी]

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर): मैं अपने संसदीय क्षेत्र के पौराणिक महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि बक्सर सहित बिहार के विश्व सुप्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय, कहलगांव, भागलपुर, बांका जिला अंतर्गत ''मंदार पर्वत'' (जहां देवताओं द्वारा शेषनाग को रस्सी के रूप में मंदार पर्वत से लपेटकर पर्वत को मथनी के रूप में प्रयुक्त करते हुए देवासुर संग्राम के दौरान समुद्र मंथन किया गया था), मधुसूदन मंदिर, अंगराज दानवीर कर्ण की धरती नाथनगर, भागलपुर, कर्णगढ़ एवं मुंगेर का कणरकिला तथा 14वीं सदी के मैथिली कवि कोकिल महान् राष्ट्र कवि विद्यापति जी की पावन जन्म स्थली विस्फी, मधुबनी (मिथिलांचल) सहित ''उगना महोदव'' आदि गौरवशाली स्थलों को राष्ट्रीय सांस्कृतिक, आध्यात्मिक धरोहर के रूप में घोषित कर उसके संरक्षण एवं संवर्धन हेतु केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं।

बक्सर का ''पंचकोशी मेला'', जहां भगवान राम स्वयं उन पांच स्थलों पर अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ गए थे, उनकी भव्य प्रतिमा एवं राम दरबार की झांकी स्थापित करने के साथ ही पंचकोशी क्षेत्र को विकसित करने हेतु अवशेषों का जीर्णोद्धार तथा सड़क, पेयजल, विद्युत, विधि-कानून की समुचित व्यवस्था, पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण, पौराणिक तालाब-घाटों आदि को आतिक्रमण मुक्त कर जीर्णोद्धार/निर्माण कराना लोकहित में आवश्यक है। लाखों लोग प्रतिवर्ष तीर्थाटन हेतु राज्य एवं राज्य के बाहर से पंचकोशी मेले में आते हैं। बक्सर स्थित रामरेखा घाट पर भगवान राम ने बाल्यकाल में गंगा स्नान कर मृतिका से शिवलिंग की स्थापना कर लोक-कल्याणार्थ पूजा-अर्चना की थी, जो रामेश्वर मंदिर के रूप में सुविख्यादित है। शास्त्रों में वर्णित ''वामन भगवान'' की अवतार भूमि भी यही स्थल रही है, जो

22.11.2016

आज केन्द्रीय कारा, बक्सर के अंदर है, उसे कारा से मुक्त कर वहां सर्वसुलभ दर्शनार्थ भव्य मंदिर निर्माण करने, सप्तपौराणिक शिवकुण्ड स्थल (प्राचीन गौरीशंकर मंदिर) तथा भगवान राम के चरण-रज द्वारा शिला रूप से माता आहिल्या का उद्धार स्थल आहिरौली आदि क्षेत्रों के जीर्णोद्धार सहित परिक्रमा मार्ग का निर्माण कराया जाए। बक्सर मर्यादा पुरूषोत्तम राम की शिक्षा-दीक्षा (प्रशिक्षण) भूमि के रूप में सुप्रसिद्ध है, जहां चरित्र वन में भगवान राम ने विश्वामित्र से प्रशिक्षण प्राप्त कर ताड़िकासुर का वध किया था।

अतएव, बक्सर को विश्व पौराणिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं राष्ट्रीय धरोहर के मानचित्र पर स्थापित किया जाए।

अतएव केन्द्र सरकार द्वारा विश्व प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नालन्दा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की तर्ज पर विकसित कर दर्जा प्रदान करने एवं राष्ट्रीय, सांस्कृतिक धरोहर की सूची में दर्ज किया जाए। साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा घोषित केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कहलगांव, भागलपुर (बिहार) में यथाशीघ्र शिविर (कैम्प) स्थापित किया जाए, जिससे वहां पठन-पाठन प्रारम्भ किया जा सके। इसके आतिरिक्त पुरातत्व विभाग द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की अवशेष खुदाई पूर्ण की जाए तथा विक्रमशिला को बौद्ध परिपथ (बुद्ध सर्किट) के साथ जोड़ा जाए।

अंगराज दानवीर कर्ण की धरती नाथनगर, भागलपुर के कर्णगढ़ एवं मुंगेर के कणरकिला को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में दर्ज करते हुए विकसित कर ''कर्ण स्तूप'' का निर्माण किया जाए।

अतएव विद्यापति जी की जन्मस्थली विस्फी, मधुबनी सहित ''उगना महादेव'' (भगवान शंकर, जो स्वयं उगना बनकर सेवक के रूप में विद्यापति जी के यहां चाकरी करते थे) को राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक धरोहर के रूप में घोषित करते हुए विकसित किया जाए।

22.11.2016

साथ ही 14वीं सदी के महान राष्ट्रकवि विद्यापति जी को महिमामण्डित करते हुए संसद भवन परिसर एवं बिहार विधानमंडल परिसर में उनकी भव्य प्रतिमा स्थापित की जाए।

22.11.2016

(दो) देश में गौ अभयारण्य शुरू किए जाने की आवश्यकता।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह): देश की खेती में बैलों का उपयोग कम होने के कारण बड़ी संख्या में बछड़े, बैल एवं गाय सड़कों पर जमा हो रहे हैं, जिससे सड़क पर आवागमन प्रभावित हो रहा है तथा सड़क दुर्घटनायें बढ़ रही हैं। खड़ी फसलों को बड़ी मात्रा में नुकसान होने के कारण देश का किसान संयम खो रहा है। मध्य प्रदेश सहित अनेक राज्यों में गोवंश की हत्या पर प्रतिबंध के कारण कसाई बड़े पैमाने पर तस्करी कर रहे हैं। बंजर भूमि को पुनः खेती योग्य बनाने का एकमात्र विकल्प एवं उपाय देशी गाय का गोबर ही है। देशी गौवंश अमूल्य धन है लेकिन सरकारों की दिशाहीन नीतियों के कारण संरक्षक किसान गौवंश के प्रति उदासीन होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में देश की भविष्य की कृषि, किसान एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। गौवंश के लिए भूसा, चारा, पानी चिकित्सा एवं मृत पशु का संस्कार गंभीर समस्या बन गया है। अतः सरकार को गौवंश के संरक्षण के लिए युद्धस्तर पर गौ अभ्यारण्य प्रारंभ करना चाहिए। प्रयोग स्वरूप दमोह जिले के जारूधाम में समाज एवं सरकार के सहयोग से 107 हैक्टेयर भूमि में गौ अभ्यारण्य प्रारंभ हुआ है।

22.11.2016

(तीन) राजस्थान को सतलुज नदी के जल का आबंटित हिस्सा प्रदान किए जाने तथा भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड में राजस्थान का एक सदस्य नामित किए जाने की आवश्यकता।

श्री निहाल चन्द (गंगानगर): मैं केन्द्र सरकार का ध्यान भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की तरफ दिलाने का आग्रह करूंगा। पहला अंतर्राज्यीय जल समझौता 29 जनवरी, 1955 को हुआ और राजस्थान प्रदेश को अपने हिस्से का पानी 8 एम.ए.एफ. मिलन तय हुआ। हरियाणा व पंजाब राज्यों के बनने के बाद पंजाब से राजस्थान को अपने हिस्से का पूरा पानी नहीं मिला। 13 जनवरी, 1959 को राजस्थान व पंजाब के बीच सतलुज नदी के पानी को लेकर समझौता हुआ, फिर भी राजस्थान को उसके हिस्से का पूरा पानी नहीं मिला। 31 दिसम्बर, 1981 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में राजस्थान व पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच समझौता हुआ, जिसमें सतलुज नदी का पानी राजस्थान को देने का समझौता हुआ। आज भी पंजाब, राजस्थान को पूरा पानी नहीं दे रहा है। अंतर्राज्जीय जल समझौते के अनुसार राजस्थान को 8.6 एम.ए.एफ. पानी आवंटित हुआ था, परंतु पंजाब आज भी 8 एम.ए.एफ. पूरा पानी भी राजस्थान को नहीं दे रहा है। 24 जून, 1985 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने तीनों (राजस्थान, पंजाब व हरियाणा) राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में राजस्थान का पूरा पानी (8.6 एम.ए.एफ.) देने का आश्वासन दिया था, परंतु आज तक पूरा पानी नहीं दिया गया।

मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि इस मामले में मध्यस्थता कर पंजाब से पूरा पानी राजस्थान प्रदेश को दिलवाने में मदद करे एवं आज तक भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड में पंजाब एवं हरियाणा का सदस्य ही नामित हुआ है, राजस्थान से एक बार भी सदस्य नामित नहीं हुआ,

जबकि समझौते के अनुसार ऐसा होना चाहिए था। राजस्थान का सदस्य भी भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) में नामित हो, ऐसा केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा।

(चार) देश की जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त संख्या में दंत स्वास्थ्य विज्ञानियों की नियुक्ति किए जाने तथा उन्हें भारतीय दंत परिषद तथा राज्य दंत परिषदों के चुनावों में भाग लेने की अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता।

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज): मैं सरकार का ध्यान **डेंटल हाइरजिनिस्ट,** जिसे **दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी** कहते हैं, की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। संसद द्वारा डेंटिस्ट एक्ट, 1948 के तहत **दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी** का प्रावधान किया गया था, जिससे प्राथमिक स्तर पर लोगों को मुख एवं दांतों में होने वाली बीमारियों जैसे पायरिया, कीड़ा एवं मुख के कैंसर आदि से बचाया जा सके और लोगों को इसके बारे में दन्त शिक्षा के द्वारा जागरूक किया जा सके। **दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी** को ओरल हाईजीन केयर प्रैक्टिस करने के लिए, चाहे प्राईवेट हो या सरकारी सेवा, आवश्यक रूप से दन्त परिषद में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, परंतु **दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी** को दन्त परिषद में रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद न तो वोट देने का आधिकार है, न ही प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का आधिकार है और न ही **दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी** का नामांकन होता है।

इस संबंध में सरकार से अनुरोध है कि भारतीय जनसंख्या के अनुपात में **दन्त स्वास्थ्य विज्ञानियों** की संख्या बढ़ाई जाए, भारतीय दन्त परिषद एवं राज्य दन्त परिषदों में **दन्त स्वास्थ्य विज्ञानियों** को मताधिकार एवं चुनाव लड़ने का आधिकार दिया जाए और दन्त स्वास्थ्य विज्ञानियों को भारतीय दन्त परिषद एवं राज्य दन्त परिषदों में सरकार की ओर से **दन्त स्वास्थ्य विज्ञानियों** के प्रतिनिधियों के रूप में नामांकित किया जाए।

22.11.2016

(पांच) गुजरात के मेहसाना शहर में रेल उपरि पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता।

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा): मेहसाणा शहर उत्तर गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। यह मिल्क सिटी, ऑयल सिटी, इंडस्ट्रियल सिटी के नाम से भी जाना जाता है।

मेहसाणा शहर के बीचों-बीच रेलवे स्टेशन पड़ता है, जिसमें मेहसाणा दो हिस्सों ईस्ट-वेस्ट में बंट गया है। मेहसाणा 1 और 2 के बीच यातायात के लिए नार्थ में गोपीनाला और साउथ में भमरीया नाला पड़ता है। दोनों नालों से ए.सी. तथा लग्जरी बस तथा भारी वाहनों को आने-जाने में दिक्कत होती है। ए.सी. बसों को 4 किलोमीटर का राउंड लेकर सिटी में से बाहर निकलना पड़ता है। ईस्ट में सभी जिला प्रशासन ऑफिस, नगर इकाई, कार्यालय, स्टेट ट्रांसपोर्ट मुख्यालय, व्यापारी बाजार, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज व जिला अस्पताल पड़ते हैं। वहां आने-जाने तथा मरीजों के लिए दो आर.ओ.बी. हैं, लेकिन वहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है। डी.एम.आई.सी. का कार्य आगे बढ़ रहा है। तब उनके निर्माण के साथ-साथ ईस्ट-वेस्ट मेहसाणा को जोड़ने के लिए मैंने पिछले पांच सालों से और अभी भी मैंने दो आर.ओ.बी. की मांग की है।

मेहसाणा की जनता की इन वाजिब मांगों पर गौर किया जाए।

22.11.2016

(छह) राजस्थान के भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी गांवों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण किए जाने की आवश्यकता।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को शुरू किया था। इसमें जनसंख्या को आधार मानकर गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम प्रारंभ हुआ। आज इसके माध्यम से गांव के विकास में तेजी आई है। इस योजना के तहत 1991 तथा बाद में 2001 की जनगणना को आधार माना गया तथा इस आधार पर स्वीकृतियां हो रही हैं। राजस्थान प्रदेश में 250 तक की जनसंख्या वाले गांवों में सड़कों के निर्माण का काम पूरा हो गया है, परन्तु ऐसे कुछ राजस्व ग्राम, जो योजना के बनते समय नगरीय क्षेत्रों में थे इसलिए वे इस योजना से नहीं जुड़ सके। परन्तु आज यह राजस्व गांव होकर ग्राम पंचायतों का हिस्सा हैं तथा 2011 की जनगणना के हिसाब से उनकी जनसंख्या 500 से भी ज्यादा है, परन्तु वहां सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। विशेष रूप से भीलवाड़ा लोक सभा क्षेत्र में भीलवाड़ा जिले की मांगडलगढ़ तहसील के गांव तिरोली ग्राम पंचायत होड़ा का उदाहरण है। यह गांव पहले नगर पालिका क्षेत्र का हिस्सा था परन्तु अब राजस्व गांव है तथा जनसंख्या भी 500 से आधिक है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि इस संबंध में देशव्यापी सर्वे करवा कर ऐसे गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जोड़ा जाये, इससे इन गांवों के विकास में तेजी आयेगी।

22.11.2016

(सात) देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विनिर्माण संबंधी सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जाने की आवश्यकता।

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत): वर्तमान केन्द्र सरकार द्वारा मान्यवर प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से एल.ओ.सी. पार करके आतंकियों के कैम्पों का सफाया किया गया उस कार्य से सेना एवं आम जनता का मनोबल बढ़ा है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देश की जनता में स्वतः स्फूर्ति चेतना का संचार हुआ है। जिसके लिए भारत सरकार एवं सेना आभिनंदन के पात्र हैं।

सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लोगों में चीन द्वारा जिस प्रकार से भारत के हितों की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अनदेखी करके भारत के विरूद्ध पाकिस्तान के षडयंत्रों को मान्यता दी जा रही है उस पर रोष व्याप्त है। एक सरकार के नाते विश्व व्यापार संगठन के नियमों के दायरे के कारण जो कार्य सरकार नहीं कर सकती वे कार्य जनता स्वयं कर रही है। आज जनता चीन में बने उत्पादों का बहिष्कार करके स्वदेशी वस्तुओं को अपना रही है।

मेरा सरकार को सुझाव है कि आज इस जन चेतना को सही मार्गदर्शन देते हुए आवश्यकता है कि इसी तर्ज पर जीवन हेतु आवश्यक चीजों को बनाने हेतु छोटे-मोटे गृह उद्योग के लिए युवकों को बड़ी मात्रा में प्रेरित करना चाहिए अन्यथा यह जो चेतना है वह समय जाते फिर से उसी ओर प्रवाहित होगी। सरकार ऐसी छोटी-मोटी चीजों को बनाने हेतु आई.टी.आई. के माध्यम से प्रमाणित कोर्स शुरू करती है। विदेशी चीज़ों के सामने लोगों को मेड इन इंडिया का विकल्प भी मिलेगा। विशेषकर प्लास्टिक मोल्डिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में यह प्रयास करने की आवश्यकता है।

22.11.2016

(आठ) बिहार के औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ऐतिहासिक सूर्य मंदिर तथा अन्य मंदिरों का जीर्णोद्धार किए जाने की आवश्यकता।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): बिहार के औरंगाबाद जिला के देव प्रखंड में ईलाकाल में निर्मित एक प्राचीन सूर्य मंदिर की स्थापना की गई थी, जो वर्तमान में जर्जर स्थिति में है। इस स्थान पर श्रद्धालुओं/तीर्थ यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इस पवित्र स्थल पर वर्ष में दो बार छठ महापर्व का आयोजन किया जाता है और इस अवसर पर करीब 25 लाख श्रद्धालु देश के विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। इस पवित्र तीर्थ स्थल पर मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण तीर्थ यात्रियों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

मंदिर के कई शिलालेख खिसक गए है और कई खिसकने के कगार पर हैं। इस मंदिर तक जाने वाली सड़क की स्थिति काफी जर्जर है। पेयजल, स्नानागर, शौचालय, यात्री निवासी, सड़क और सफाई की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। इसके आतिरिक्त, मेरे संसदीय क्षेत्र के गया और औरंगाबाद जिला के कोचेश्वरनाथ मंदिर, बैजुधाम, बांके धाम, केशवधाम, उमगेश्वरी माता मंदिर, गजनाधाम, दुधेश्वरनाथ मंदिर, सत्यचंदी माता मंदिर की स्थिति जर्जर है और इस संबंध में अधोहस्ताक्षरित द्वारा सरकार को तीन माह पूर्व सूचित किया गया है, परंतु अभी तक इस संबंध में समुचित कार्रवाई नहीं की गई है।

मेरा आग्रह है कि जनहित में सूर्य मंदिर देव सहित उपर्युक्त वर्णित मंदिरों के लिए सड़क, पेयजल, स्नानागार, प्रसाधन, यात्री निवास और सफाई की विशेष व्यवस्था उपलब्ध कराते हुए इन मंदिरों के मरम्मतीकरण और आधुनिकीकरण की व्यवस्था की जाये। साथ ही साथ इन मंदिरों का उन्नयन विकास और संरक्षण केन्द्र सरकार के विभागों द्वारा की जाये।

22.11.2016

(नौ) सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों के समक्ष आ रही समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता।

(अनुवाद)

श्री राघव लखनपाल (सहारनपुर): मैं सरकार का ध्यान देश में बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के समक्ष आ रही निम्नलिखित समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो पिछले एक दशक से अधिक समय से सभी भारतीय बैंक सेवानिवृत्त महासंघ (ए.आई.बी.आर.एफ.) के बैनर तले आंदोलन कर रहे हैं, जो लंबे समय से लंबित मांगों/मुद्दों पर 44 बैंकों से 1,55,000 से अधिक सेवानिवृत्त लोगों का प्रतिनिधित्व करता है:

1.नवंबर 2002 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले लगभग 60,000 जीवित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मई 2005 से काफी कम दर पर महंगाई भत्ता मिलता है। लगभग 2,40,000 सेवानिवृत्त कर्मचारी जो नवंबर 2002 के बाद सेवानिवृत्त हुए उनको वर्ष 2005 में हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार उच्च दर पर महंगाई भत्ता मिलता है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के इस समूह को यह स्पष्ट भेदभाव लगता है। इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की उम्र बढ़ती जा रही है और वर्तमान में इनमें से अधिकांश 70 वर्ष से अधिक उम्र के हैं।

2. ए.आई.बी.आर.एफ. ने आई.बी.ए./सरकार से अनुरोध किया है कि पेंशनभोगियों की मृत्यु के बाद परिवार को सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए सरकारी क्षेत्र/आर.बी.आई. के बराबर महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए।

3. पुराने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए मूल पेंशन का अपडेशन।

4. बचे हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का विकल्प दिया जाए।

5. आई.बी.ए. को ए.आई.बी.आर.एफ. के साथ चर्चा करनी चाहिए।

22.11.2016

उपरोक्त के अलावा, मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि कृपया देश में बैंक सेवानिवृत्त से संबंधित अन्य सभी लंबित मुद्दों पर भी अनुकूल विचार करें और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

22.11.2016

(दस) सुपरफास्ट मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में दैनिक यात्रियों का रेल किराया कम किए जाने की आवश्यकता।

(हिन्दी)

श्री डी.एस. राठौड़ (साबरकांठा): भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की स्पीड बढ़ाकर उन्हें सुपरफास्ट ट्रेनों में परिवर्तित किया गया है। उसके साथ ही इन ट्रेनों का किराया भी बढ़ाया गया है। इस निर्णय की वजह से रोज अपनी नौकरी एवम् रोज़गार के लिए अप-डाउन करने वाले यात्रियों को ऐसी ट्रेनो से यात्रा करने पर पाबंदी लगा दी गई है और उनके लिए यात्री ट्रेन कम हो गई हैं। भारत सरकार, भारतीय रेलवे की सभी ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने जा रही है तब ऐसी गाड़ियों की स्पीड बढ़ने से यात्री किराये में हुई बढ़त/किराया को मूल स्थिति में लाया जाना चाहिए और सभी रेल यात्रियों को मेल/एक्सप्रेस/सुपरफास्ट ट्रेनों में सफर करने की अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसी मेरी मंत्रालय से मांग है। ऐसा करने से रेल एवं रेलवे स्टेशनों पर हो रहा ट्रैफिक बहुत कम होगा।

22.11.2016

(ग्यारह) राजस्थान के बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं में बढ़ोतरी किए जाने की आवश्यकता।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर): मैं बाड़मेर संसदीय क्षेत्र (राजस्थान) का प्रतिनिधित्व करता हूं। यह एक अभावग्रस्त एवं मरूस्थलीय क्षेत्र है। सभी जानते हैं कि मारवाड़ी समूचे हिन्दुस्तान नहीं आपितु विश्व में छाये हुए हैं। परन्तु वे अभी भी सांस्कृतिक परम्पराओं एवं संस्कारों के कारण अपनी जन्मभूमि से जुड़े हैं। आज़ादी के 65 वर्षों पश्चात् कुदरत यहां के लोगों पर मेहरबान हुई है। यहां अब प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक सम्पदा के रूप में तेल, कोयला, लिग्नाइट, स्टील, बेस लाइम, बेटोनाइट, जिप्सम एवं ग्रेनाइट का भंडार मिला है। इसी वजह से यहां भी औद्योगिक इकाईयां स्थापित हो रही हैं। बाड़मेर औद्योगिक रूप में विश्व पटल पर उभर रहा है एवं जैसलमेर पर्यटन के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सीमा से सटे होने के कारण एयरफोर्स, आर्मी एवं बी.एस.एफ. के जवानों का आवागमन भी इसी क्षेत्र में होता रहा है। इन सबको ध्यान में रखा जाये तो इस क्षेत्र में रेलवे की सुविधाएं नाममात्र हैं। दक्षिणी व उत्तरी भारत को रेल सेवाओं से सीधा जोड़ने हेतु बाड़मेर एवं जैसलमेर को जोड़ा जाये ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा हो। इससे व्यापारियों को माल ट्रांसपोर्टेशन में भी पैसा एवं समय दोनों की बचत होगी। जोधपुर रेलवे मुख्यालय पर जमीन की कमी होने के कारण यहां यात्री रेलगाड़ियों को रोकने, उनकी सफाई एवं मेंटीनेंस करने में परेशानी आ रही है। ऐसी स्थिति में बाड़मेर स्टेशन जहां पर्याप्त मात्रा में रेलवे के पास भूमि उपलब्ध है वहां लोकोशेड एवं पार्विंग का निर्माण करवाया जाये तो कई गाड़ियों को बाड़मेर रोका जा सकता है। इससे दोहरा लाभ होगा एक तो जोधपुर पर लोड नहीं रहेगा एवं बाड़मेर/जैसलमेर की जनता को गाड़ियां भी मिल जायेंगी। निम्न गाड़ियों को बाड़मेर तक बढ़ाया जाया तथा बाड़मेर में ही पार्क किया जाये। मण्डोर एक्सप्रेस, सूर्यनगरी एक्सप्रेस, जोधपुर-जयपुर एक्सप्रेस, दिल्ली-सुजानगढ़-भगत की कोठी (14705-

06)। निम्न गाड़ियों को जैसलमेर तक बढ़ाया जाये तथा बाड़मेर में ही पार्क किया जाये- दिल्ली-बीकानेर, पुरी-जोधपुर, चैन्नई-जोधपुर। निम्न गाड़ियों के फेरे बढ़ाये जाये- मद्रास-जोधपुर (16125), गुवाहाटी एक्सप्रेस, यशवंतपुरम एक्सप्रेस, जोधपुर से वाया रामदडी मोकलसर, जालौर-अहमदाबाद, जैसलमेर-हावड़ा, जैसलमेर-मुंबई, चैन्नई-अहमदाबाद ''हम सफर'' जो नई संचालित की गयी है, को जोधपुर तक बढ़ाया जाये। जैसलमेर-बाड़मेर-दिल्ली एक्सप्रेस में साधारण कोच की संख्या दिल्ली तक बढ़ाई जाये। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कर अनुरोध करना चाहता हूं कि वाणिज्यिक, सामरिक दृष्टि से उक्त प्रकार की व्यवस्था की जाती है तो रेलवे एवं आम जन के हित में होगा।

22.11.2016

(बारह) केरल के कोजिकोड़ जिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तर्ज पर संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

(अनुवाद)

प्रो. रिचर्ड हे (नामनिर्दिष्ट): चूंकि उत्तर मालाबार को सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है, इसे देखते हुए केरल के कालीकट में एक एम्स जैसा संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता है। पांच जिलों के लोगों को बेहतर इलाज के लिए केरल के दक्षिणी भाग में स्थित तिरुवनंतपुरम तक यात्रा करनी पड़ती है। विशेषकर इतनी दूर तक यात्रा करने के कारण गरीबों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, केरल के कोझीकोड जिले में एम्स जैसा संस्थान स्थापित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।

22.11.2016

(तेरह) राजस्थान के करौली जिले में रेलवे समपार सं 201 के समीप एक अंडरपास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता।

(हिन्दी)

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र करौली-धौलपुर के करौली जिले में हिण्डौन सिटी रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज बनने के कारण हिण्डौन महवा फाटक संख्या 201 के बंद होने के कारण आ रही परेशानियों की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं।

करौली जिले में हिण्डौन सिटी में रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज बनने के कारण हिण्डौन महवा फाटक संख्या 201 बंद कर रेलवे ओवरब्रिज बनाया गया है। जिसकी तकनीकी गलती के कारण शहर वर्धमान नगर सहित शहर की काफी कॉलोनियों के हज़ारों लोग धारा से अलग हो गए हैं। शहर जाने के लिए 5 कि.मी. का लम्बा चक्कर लगाना पड़ता है या फिर जान खतरे में डालकर रेलवे लाईन पैदल पार करनी पड़ती है। आपातकाल में मरीजों तथा विद्यार्थियों को स्कल, कॉलेज व अस्पताल आदि जाने में विशेष परेशानी हो रही है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि हिण्डौन सिटी में रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण के कारण बन्द किये गये फाटक संख्या 201 के पास जल्द से जल्द अण्डर पास का निर्माण कराया जाये जिससे हिण्डौन शहरवासियों को राहत मिल सके।

22.11.2016

(चौदह) मध्य प्रदेश के सागर जिले के सर्वांगीण विकास हेतु पर्याप्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता।

श्री लक्ष्मी नारायण यादव (सागर): नियम 377 के माध्यम से निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत सागर (मध्य प्रदेश) विकास संबंधी बाहुल्य स्रोत और शिक्षा क्षेत्र में व्यापक साक्षरता स्तर होने के बाद भी औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला है और औद्योगिक पिछड़े जिलों की 'बी' श्रेणी में है। डॉ. हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय के कारण इस जिले का साक्षरता स्तर 77 प्रतिशत से भी आधिक है और महिलाओं में शिक्षा के प्रति लगाव है। जिन्हें कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षित कर उन्हें कुशल श्रेणी में लाया जा सकता है और इस मानव शक्ति का उपयोग देश के विकास एवं सेवा कार्यों में समुचित ढंग से किया जा सकता है। यह जिला भारत के बीचो-बीच है। इस जिले में विकास का बुनियादी ढांचा तैयार करने की आवश्यकता है। जिसके लिए सड़कें, सिंचाई एवं सोयाबीन आधारित छोटे-छोटे उद्योग लगाये जाने जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सागर जिले को देश के 100 चयनित स्मार्ट सिटी में रखा है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में विकास की काफी संभावनाएं हैं इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा सागर जिले को पिछड़े जिले से एक विकासशील जिले में परिवर्तन करने के लिए अध्ययन और सर्वे किया जाये।

22.11.2016

(पंद्रह) चित्रकूट धाम-कानपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को लखनऊ तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत विश्वप्रसिद्ध तीर्थ एवं पर्यटन स्थल चित्रकूट धाम से कानपुर तक प्रतिदिन इन्टरसिटी एक्सप्रेस चलती है जो कानपुर में करीब 14 घंटे खड़ी रहती है। वहाँ से प्रदेश की राजधानी लखनऊ मात्र 1 घंटे की दूरी पर 80 कि.मी. है। इन्टरसिटी एक्सप्रेस को लखनऊ तक बढ़ाने हेतु काफी समय से आम नागरिकों की मांग रही है। इसे लखनऊ तक बढ़ाने से यात्रियों को सुविधा मिलने के साथ रेलवे के राजस्व में भी अच्छी बढ़ोतरी होगी। अस्तु मेरा सरकार से अनुरोध है कि आतिशीघ्र निर्णय लकर चित्रकूट धाम-कानपुर इन्टरसिटी एक्सप्रेस को लखनऊ तक बढ़ाने की कृपा करें।

22.11.2016

(सोलह) केरल के कालीकट में राष्ट्रीय राजमार्ग सं 66 और 766 पर भीड़भाड़ को कम करने की आवश्यकता ।

[अनुवाद]

श्री एम. के. राघवन (कोझिकोड): कालीकट एक उभरता हुआ शहर है। इस शहर से दो राष्ट्रीय राजमार्ग नामतः एन.एच.-66 और एन.एच.-766 गुजरते हैं। यह एक प्राचीन शहर है और केरल को मैसूर और मंगलौर के रास्ते कर्नाटक के साथ-साथ राज्य के वायनाड हिल स्टेशन और अन्य स्थानों से जोड़ने वाला प्रमुख शहर है। एरंजिपालम पर पूर्ववर्ती छोटा बाईपास अब वाहनों की भीड़भाड़ के कारण सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए बाधा बन गया है, जिसके परिणामस्वरूप घंटों तक यातायात जाम लग जाता है, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों के साथ-साथ स्थानीय आवागमन भी प्रभावित होता है।

इसलिए, यह आग्रह किया जाता है कि एरंजिपालम जंक्शन को सेतुभारतम या सड़क सुरक्षा योजना के अंतर्गत ग्रेड सेपरेटर उपलब्ध कराया जाए। इसकी अनुमानित लागत 35 करोड़ रूपए है।

इसी तरह, 28 किलोमीटर का कोझिकोड बाईपास ही एकमात्र रास्ता है जहां केरल में 45 मीटर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। इस बाईपास पर चार लेन के लिए निविदा प्रक्रिया तुरंत शुरू होनी चाहिए।

22.11.2016

(सत्रह) अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को चीन द्वारा वीजा देने से इंकार किए जाने के बारे में।

श्री निनोंग इरिंग (आरुणाचल पूर्व): मैं ऐसी अनेक घटनाओं से संबंधित समस्या को उजागर करना चाहता हूं जब अरुणाचल के खिलाड़ियों को चीन द्वारा वीजा नहीं दिया गया है। यह अरुणाचल प्रदेश के लोगों के साथ भेदभाव का कृत्य है। यह वर्ष 1962 के चीनी आक्रमण के बाद और दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय विवाद के कारण अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों के साथ कई बार हुआ है। चीन अरुणाचल को स्टेपल वीजा जारी करता है। लेकिन भारत स्टेपल वीजा को मान्यता नहीं देता और इसलिए उन्हें यात्रा करने की अनुमति नहीं देता है।

इस मुद्दे का गंभीर निहितार्थ है, क्योंकि हाल ही में बामंग तागो को वीजा नहीं दिया गया, जबकि उनकी टीम चीन के लिए रवाना हो गई। तागो अरुणाचल राज्य बैडमिंटन संघ के सचिव हैं और वर्ष 2016 के थाईहॉट चाइना ओपन के लिए भारतीय बैडमिंटन टीम के मनोनीत प्रबंधक हैं। इससे पहले भी कई बार खिलाड़ी आव्रजन संबंधी समस्याओं के चलते चीन में खेल में भाग नहीं ले पाए हैं। वर्ष 2011 में, कराटे टीम के पांच सदस्य, जनवरी 2012 में अरुणाचल वेटलिफ्टरों की एक टीम, अक्टूबर 2013 में अरुणाचल प्रदेश के दो तीरंदाज चीन में भाग नहीं ले सके। यह समस्या गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि चीन अंतरराष्ट्रीय खेलों के लिए एक उभरता हुआ प्रमुख स्थान है।

22.11.2016

(अठारह) मेत्तुपलायम और वायनाड़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं 181 का चौड़ीकरण किए जाने के बारे में।

श्री पी. नागराजन (कोयम्बटूर): राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 181 जो मेत्तुपलायम और कोन्नूर, कोटी, गुडालुर होते हुए वायनाड़ जोड़ता है, वह तमिलनाडु में मेरे कोयम्बटूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होकर गुजरता है। मेत्तुपलायम और वायनाड़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 181 के बहुप्रतीक्षित चौड़ीकरण में भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) द्वारा पर्यटकों और आम यात्रियों के लाभ के लिए तेजी लाने की आवश्यकता है। यह एन.एच. 181 का एक महत्वपूर्ण खंड है जिससे तमिलनाडु और केरल दोनों राज्यों के वाहन और यात्री गुजरते हैं। मार्ग के चौड़ीकरण और विस्तार कार्य से राष्ट्रीय राजमार्ग 181 से बड़ी संख्या में वाहनों के आसानी से और सुचारू रूप से निकालने में मदद मिलेगी और कई स्थानों पर सड़क की संकीर्णता के कारण लगने वाले यात्रा समय और अनावश्यक यातायात जाम से बचा जा सकेगा।

देश भर से बड़ी संख्या में पर्यटक जो कोटी, कोन्नूर और मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य के हिल स्टेशन पर जाते हैं, उन्हें एन.एच. 181 के इस खंड का उपयोग करना पड़ता है। वर्तमान स्थिति के कारण, 172 किमी की दूरी के लिए यात्रा का समय लगभग 6 घंटे है और इस एन.एच. 181 पर चलने वाले पर्यटकों और अन्य आम यात्रियों को अधिकांश स्थानों पर सड़क के संकरें होने के कारण बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस सड़क से गुजरने वाले लाखों पर्यटक वाहनों और अन्य वाहनों के लाभ के लिए एन.एच.-181 विशेष रूप से मेत्तुपलायम और वायनाड़ के बीच के खंड के चौड़ीकरण में तेजी लाई जाए।

22.11.2016

(उन्नीस) तमिलनाडु में चेन्नई सेंट्रल और इरोड के बीच कावेरी रेलवे स्टेशन पर यरकौड एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता।

श्री एस.सेल्वाकुमार चिन्नैयन (इरोड): इरोड तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र के महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। ट्रेन यरकौड एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 22649) प्रतिदिन चेन्नई सेंट्रल से इरोड जंक्शन तक चलती है और वापस चेन्नई सेंट्रल आती है। यरकौड एक्सप्रेस ट्रेन रात में चेन्नई से चलती है और सुबह इरोड जंक्शन पहुंचती है। चूंकि अधिकांश यात्री इरोड जंक्शन पर उतरते हैं, इसलिए यह स्टेशन बाहर और अंदर दोनों तरफ लोगों से भर जाता है। जंक्शन के आसपास भारी वाहनों की आवाजाही हालात को और खराब कर देती है और यरकौड एक्सप्रेस के इरोड जंक्शन पहुंचने पर लोगों को आने-जाने में मुश्किल होती है।

इस भारी भीड़ को कम करने के लिए यरकौड एक्सप्रेस ट्रेन का कावेरी रेलवे स्टेशन पर ठहराव किया जाना आवश्यक है। इरोड जंक्शन से कुछ किलोमीटर पहले स्थित पल्लीपालयम से संबंधित यात्री इरोड जंक्शन के बजाय इस स्टॉप पर उतर सकते हैं। इससे न केवल पल्लीपालयम क्षेत्र के आसपास के यात्रियों को लाभ होगा बल्कि हर दिन सुबह के समय इरोड जंक्शन पर लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम को भी कम किया जा सकेगा।

इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री से आग्रह करता हूँ कि यरकौड एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 22649) के कावेरी रेलवे स्टेशन पर ठहराव प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

22.11.2016

(बीस) प्रधानमंत्री जन धन योजना के क्रियान्वयन में कथित धोखाधड़ी के बारे में।

श्री सुल्तान अहमद (उलुबेरिया): मैं सरकार का ध्यान प्रधानमंत्री जन धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.) को पूरे देश में कार्यान्वित करने के लिए बैंक मित्र योजना में कथित धोखाधड़ी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। एक प्रमुख समाचार पत्र में 'बैंक मित्रों' की भूमिका के बारे में बताया गया है, जिन्होंने प्रधानमंत्री जन धन योजना की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसा कि बताया गया है, कई बैंक मित्रों ने अधिक व्यक्तियों को खाते खोलने के लिए तैयार करने और उन्हें सक्रिय रखने के लिए इन खातों में ₹1 (एक) जमा किए।

हालांकि सरकार का कहना है कि शून्य शेष खातों की संख्या में काफी कमी आई है, लेकिन सितंबर में आई खबरों के मुताबिक, कई खातों में ₹1 (एक) जमा किया गया था ताकि यह दिखाया जा सके कि ये खाते चालू और सक्रिय हैं। पी.एम.जे.डी.वाई के अंतर्गत 25 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं और इन खातों में कुल जमा राशि ₹ 44,480 करोड़ है। यह औसत ₹1700 प्रति खाता है।

बैंकिंग प्रक्रिया में इस प्रकार की धोखाधड़ी से बैंकों की संलिप्तता और सरकार के निगरानी तंत्र की विफलता का आभास होता है। मैं सरकार से इस प्रकार की धोखाधड़ी को रोकने के लिए उचित तंत्र बनाने का आग्रह करता हूँ।

22.11.2016

(इक्कीस) पश्चिम बंगाल के आरामबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता।

श्रीमती अपरूपा पोद्दार (आरामबाग): आर्गेनिक फार्मिंग एक उत्पादन प्रणाली है जो मिट्टी, पारिस्थितिकी तंत्र और लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखती है। आर्गेनिक फार्मिंग साझा पर्यावरण और जीवन की अच्छी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए परंपरा, नवाचार और विज्ञान को जोड़ती है। कृषि-पारिस्थितिकी के क्षेत्र में खेती की विधि का अध्ययन किया जाता है।

हरिपद, तारकेश्वर, प्रुषराह, धनकली का खानाबुल हिस्सा, आरामबाग सब्जियों के लिए बहुत उपजाऊ है। पश्चिम बंगाल के आरामबाग संसदीय क्षेत्र में किसानों के उत्थान और उन्हें शिक्षित करने हेतु जैविक खेती के लिए तकनीकी ज्ञान और विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता है।

22.11.2016

(बाईस) भारत में सस्ती कैंसर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता।

श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर): भारत में वर्ष 2016 में कैंसर के मामलों की अनुमानित संख्या लगभग 14.5 लाख है, जिसके वर्ष 2020 तक बढ़कर 17.2 लाख होने का अनुमान है। यह भी देखा गया है कि वर्ष 2016 में कैंसर से होने वाली मौतों की संख्या लगभग 50% होने का अनुमान है। अन्य देशों की तुलना में भारत में कैंसर रोगियों की उत्तरजीविता दर बहुत कम है, इसके बीच एक हालिया वैश्विक अध्ययन से पता चला है कि भले ही भारत में कैंसर की दवाएं अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत सस्ती हैं, फिर भी ये दवाएं आम लोगों की पहुंच से बाहर हैं। जीवन यापन की लागत के समायोजन के बाद संपत्ति के प्रतिशत के रूप में मूल्य की गणना करने पर, भारत और चीन में कैंसर की दवाएं सबसे कम किफायती प्रतीत होती हैं। इसलिए, मैं सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूँ कि सभी जरूरतमंदों को कैंसर की दवाएं सस्ती कीमतों पर उपलब्ध हों।

22.11.2016

(तेईस) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के शिर्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 'प्रवर निलवंडे' परियोजना को सम्मिलित किए जाने तथा इस प्रयोजन हेतु पर्याप्त निधियों का आवंटन किए जाने की आवश्यकता।

[हिंदी]

श्री सदाशिव लोखंडे (शिर्डी): मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत शिर्डी, जिला अहमदनगर (महाराष्ट्र) के अंतर्गत श्री साईं बाबा का विश्व प्रसिद्ध धाम शिर्डी शहर में स्थित है। जहां पर देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु उनके दर्शनार्थ प्रतिदिन आते हैं। श्री साईं बाबा का समाधि शताब्दी वर्ष, 2018 में है।

शिर्डी में श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं एवं निकटवर्ती गांवों में पानी की परेशानी को दूर किए जाने हेतु अहमदनगर जिले में ''प्रवरा निलवंडे'' केनाल का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें केन्द्र की ए.आई.बी.पी. योजना के अंतर्गत 80 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार और 20 प्रतिशत राशि राज्य सरकार को व्यय करनी है। लेकिन, अब ए.आई.बी.पी. योजना को बंद कर दिया गया है और इस योजना के स्थान पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारम्भ की गई है।

राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार की ए.आई.बी.पी. योजना के स्थान पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारम्भ की है, उसके लिए 7 प्रकल्प केन्द्र सरकार को प्रेषित किए हैं जिनमें ''प्रवरा निलवंडे'' प्रकल्प शामिल नहीं है। शिर्डी धाम के निकटवर्ती ग्रामों की भीषण सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ''प्रवरा निलवंडे'' को राज्य सरकार की ओर से आठवें प्रकल्प में केन्द्र सरकार स्वीकार करते हुए इस संबंध में राज्य सरकार से प्रकल्प भिजवाने हेतु कार्यवाही की जानी चाहिए, जिससे वहां के किसानों को न्याय मिल सकें।

22.11.2016

राज्य सरकार धनाभाव के कारण अपने हिस्से की राशि देने में असमर्थ है। राज्य सरकार की उक्त 20 प्रतिशत राशि को श्री साईं बाबा संस्थान शिर्डी देने के लिए तैयार है तथा शिर्डी के निकटवर्ती ग्रामों की भीषण सूखे की स्थिति को देखते हुए संस्थान 500 करोड़ रूपए देने को तैयार है। लेकिन, केन्द्र सरकार की ओर से धनराशि का आवंटन न मिलने के कारण इस केनाल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में स्थानीय ग्रामीणों, किसानों एवं श्रद्धालुओं को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है।

22.11.2016

अतः मेरा अनुरोध है कि शिर्डी श्री साईं बाबा की महत्ता और निकटवर्ती ग्रामों की पानी की किल्लत को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत जो 7 प्रकल्प केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु भेजे हैं तथा ''प्रवरा निलवंडे'' प्रकल्प शामिल नहीं है उसको राज्य सरकार केन्द्र सरकार को 8वें प्रकल्प के रूप में प्रेषित करते हुए ''प्रवरा निलवंडे'' केनाल का निर्माण कार्य श्री साईं बाबा के समाधि शताब्दी वर्ष, 2018 के शुभारंभ तक पूरा करवाने की कृपा करें, ताकि क्षेत्र के किसान अकाल की स्थिति से बच सके और उन्हें अपनी उपज हेतु पानी की सुविधा प्राप्त होकर न्याय मिल सके।

22.11.2016

(चौबीस) आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम को स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम): मैं सरकार का ध्यान आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम नगरपालिका में एकत्र होने वाले ठोस कचरे, ओवरफ्लो होने वाले नालों, सड़कों पर जमे हुए पानी और प्लास्टिक की बोतलों, पॉलीथीन कवरों और अस्पताल के कचरे जैसी गैर-अपघटनीय वस्तुओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो पर्यावरणीय समस्याओं और अमीबायसिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, मलेरिया और टाइफाइड के प्रकोप का कारण बन रहे हैं। श्रीकाकुलम नगरपालिका ने श्रीकाकुलम नगरपालिका में भूमिगत जल निकासी के अभाव में सड़कों के बीच पानी के जमा होने के कारण जल निकासी की समस्या का सामना किया है, सीवर का पानी खुले नहरों में बहता है, जिसमें कचरा भी होता है क्योंकि लोग सारा कचरा नालों में फेंकने के आदी हैं। गाद के संचय के कारण ही सामान्य वर्षा होने पर भी नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं। जिला मुख्यालय अस्पताल द्वारा एकत्र किए गए नमूनों के अनुसार, शहर में मौजूदा अस्वास्थ्यकर स्थिति के कारण लगभग 7.42 प्रतिशत रोगी टाइफाइड, 66.2 प्रतिशत अमीबायसिस, 16 प्रतिशत गैस्ट्रोएंटेराइटिस और 10.38 प्रतिशत मलेरिया से पीड़ित थे। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा सुझाए गए उपायों जैसे कि सड़कों पर कचरा फेंकने पर प्रतिबंध, सड़कों पर गंदगी फैलाने वालों से प्रशासन शुल्क वसूलना, कचरे को स्रोत पर पृथक करना, सभी 365 दिनों में सड़कों पर झाड़ू लगाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करना श्रीकाकुलम नगर पालिका में ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। मैं, केंद्र सरकार से शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों पर श्रीकाकुलम नगरपालिका को स्मार्ट सिटी बनाने का आग्रह करता हूं ताकि रहन-सहन की स्थिति में सुधार हो।

22.11.2016

(पच्चीस) सितंबर, 2016 के दौरान तेलंगाना में हुई अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान की भरपाई किए जाने की अवश्यकता।

श्री बी. विनोद कुमार (करीमनगर): इस वर्ष सितम्बर के महीने में लगातार और भारी बारिश ने तेलंगाना के अधिकांश हिस्सों में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया और संपत्ति, फसलों, राजमार्गों, पशुधन आदि को व्यापक नुकसान पहुंचाया। तेलंगाना सरकार ने आपदा के कारण ₹2740 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया है। नगर निगम विभाग को ₹848 करोड़ का वित्तीय नुकसान हुआ, कृषि विभाग को ₹192.77 करोड़ का नुकसान हुआ, सिंचाई विभाग को ₹112 करोड़ का नुकसान हुआ और पंचायत राज विभाग को ₹290 करोड़ का नुकसान हुआ। मुख्य सचिव पहले ही राज्य के खजाने को हुए नुकसान के बारे में केंद्र की मूल्यांकन टीम को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर चुके हैं।

मैं केंद्र से इन नुकसानों के सत्यापन और जांच की प्रक्रिया में तेजी लाने और संकट से निपटने में मदद करने के लिए राज्य सरकार को तुरंत मुआवजा देने का अनुरोध करता हूँ।

22.11.2016

(छब्बीस) त्रिपुरा के शेष चार जिलों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

श्री जितेन्द्र चौधरी (त्रिपुरा पूर्व): जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ई.एम.आर.एस.) आदिवासी छात्रों के लिए बहुत उपयोगी पाए गए हैं। भारत सरकार को देश के हर आदिवासी बहुल जिले में कम से कम एक ऐसा विद्यालय स्थापित करना चाहिए। त्रिपुरा देश के मुख्य रूप से आदिवासी बहुल राज्यों में से एक है, जिसमें 8 जिले शामिल हैं, इन 8 (आठ) जिलों में से, केवल चार में ई.एम.आर.एस. हैं। शेष चार जिले अर्थात उत्तरी त्रिपुरा, ढलाई, सिपोयजोला और गोमती में अभी तक ई.एम.आर.एस. नहीं हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय इन शेष जिलों में प्राथमिकता के आधार पर ई.एम.आर.एस. स्थापित करे ताकि इन जिलों में गरीब जनजातीय परिवारों के छात्र लाभान्वित हो सकें।

22.11.2016

(सत्ताईस) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत नकली बीजों की किस्मों तथा जंगली पशुओं के कारण फसलों को होने वाली हानि को सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार): मैं सरकार से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत नकली बीज किस्मों के कारण फसल हानि और जंगली जानवरों द्वारा नुकसान को कवर करने का अनुरोध करता हूं। यह योजना पिछली योजनाओं की तुलना में बेहतर है क्योंकि इसमें प्रीमियम कम रखा गया है, यह पूर्ण बीमा कवरेज प्रदान करती है साथ ही फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को भी कवर करती है। लेकिन योजना की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह नकली बीज किस्मों और जंगली जानवरों द्वारा फसल के नुकसान के परिणामस्वरूप फसल के नुकसान के विरूद्ध कोई कवरेज प्रदान नहीं करती है। हमने पिछले वर्ष उत्तरी भारत, विशेष रूप से हरियाणा और पंजाब में कपास की फसल को भारी नुकसान पहुंचाने वाले सफेद मक्खी के प्रकोप को देखा है, जो घटिया किस्म के बीजों के कारण और भी बढ़ गया था। इसलिए, मैं सरकार से नई शुरू की गई फसल बीमा योजना में आवश्यक संशोधन करने का अनुरोध करता हूँ ताकि जंगली जानवरों और नकली बीज किस्मों के कारण फसल फसल को होने वाले नुकसान के लिए उचित बीमा सुनिश्चित किया जा सके।

22.11.2016

(अट्ठाईस) बिहार में बाढ़ के कारण जान-माल की हानि से पीड़ित लोगों के पुनर्वास हेतु राज्य को पर्याप्त राहत निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता।

[हिंदी]

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): अगस्त-सितम्बर, 2016 में गंगा नदी में भयंकर बाढ़ आई, जिससे बिहार राज्य को काफी जान-माल एवं आर्थिक क्षति हुई है। गंगा इस वर्ष पूर्ण उफान पर थी और इससे नदी किनारे बसे शहर-गांव और खेत-खलिहान को काफी नुकसान पहुंचा। करीब 300 से आधिक लोगों की जाने गईं। वे डूब गये या पानी में बह गये पता नहीं चला। लहलहाती फसल पानी की चपेट में आकर नष्ट हो गई। लाखों घर पानी में बह गये। सड़कों, पुल-पुलिया और परिवहन व्यवस्था ध्वस्त हो गई। रेल की पटरियां भी बाढ़ की चपेट में आ गईं। सबसे आधिक किसानों को हानि हुई, जिनकी फसलें नष्ट हो गईं। आपदा विभाग ने 22 सितम्बर, 2016 को ही 4,111.98 करोड़ रूपये की हुई हानि का विस्तृत ब्यौरा केन्द्र सरकार के पास भेज दिया। फिर भी पिछले लगभग दो महीनों में केन्द्रीय टीम बिहार आकर क्षति का आकलन नहीं कर सकी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इस संबंध में माननीय गृहमंत्री को पत्र भी भेजा। बाढ़ से हुई व्यापक क्षति के बारे में अवगत भी कराया। साथ ही 23 अगस्त, 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर वस्तु-स्थिति की जानकारी दी। माननीय गृहमंत्री जी से भी मिले, किन्तु अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा इस दिशा में अपेक्षा के अनुरूप सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। सर्वसम्मति से अनुमोदित बिहार विधान सभा का प्रस्ताव ''बिहार को विशेष राज्य का दर्जा'' देने की मांग को अनसुना कर और बाढ़ से इस वर्ष हुई भयंकर क्षति के लिए राज्य को केन्द्रीय सहायता देने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए हैं।

अब केन्द्र सरकार वहां टीम भेजने की बात सोच रही है। कई बार तिथि निर्धारित कर रद्द भी कर चुकी है। इतने दिनों बाद जब किसान अपनी अगली फसलों की बुआई कर चुके हैं।

घर की मरम्मत या बना रहे हैं। क्षतिग्रस्त सड़कें, पुल-पुलिया बनाये जा रहे हैं, फिर केन्द्रीय टीम के दौरे का क्या औचित्य रह जाता है? अब ऐसी परिस्थिति में क्षति का आकलन करने में कठिनाई नहीं होगी? वैसे ही बिहार गरीब राज्यों की श्रेणी में निचले पायदान पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी बार-बार दोहराते हैं कि बिहार का विकास सरकार की प्राथमिकता में है, तो फिर क्या यही प्राथमिकता का पैमाना है? अतः आग्रह है कि राज्य को क्षतिपूर्ति के लिए केन्द्र सरकार सहायता राशि के रूप में 4,111.98 करोड़ रूपये जल्द से जल्द निर्गत करे।

22.11.2016

(उनतीस) मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता।

श्री राजू शेट्टी (हातकणगले): महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पाटीदार (पटेल), राजस्थान में गुर्जर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में जाट लोग बीते बहुत दिनों से आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलित हैं। इसमें महाराष्ट्र को छोड़कर बाकी सब राज्यों में कभी न कभी आरक्षण जैसे मुद्दों पर हिंसक घटनाएं घटती रहती हैं और भविष्य में भी इस तरह की घटनाओं के घटित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र में बीते दो महीनों से मराठा समाज ने आरक्षण की मुख्य मांग को लेकर लाखों की तादाद में विशाल रैलियां की है तथा युवा, युवती एवं वृद्ध सहित सभी वर्ग के लोग रास्ते पर उतर आये हैं। लेकिन प्रदेश में निकली इन विशाल रैलियों की एक खासियत भी थी कि ये रैलियां सेना की फौज की तरह अनुशासित एवं सभ्य थी। लेकिन इस तरह की घटनाओं से देश बेचैन है। आंदोलनकर्ताओं की मांग न्यायोचित है। इस आरक्षण आंदोलन की महत्वपूर्ण बात यह है कि आरक्षण की मांग करने वाले ये सभी लोग कृषि व्यवसाय से जुड़े हैं एवं किसान हैं और देश को खड़ा करने में किसान का बहुत बड़ा योगदान रहा है और इनकी संख्या भी अत्यधिक है। सबसे पहला कार्य इनके लिए जो हमें करना होगा वह इन पर जो वर्षों से कृषि ऋण का बोझ है उसको हमेशा के लिए समाप्त करना होगा। स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को स्वीकृति देनी होगी। आर्थिक दृष्टि से पिछड़ों को शिक्षा ग्रहण हेतु फीस माफी या अनुदान की व्यवस्था, इसके साथ-साथ इनके बच्चों को नौकरी में आरक्षण भी देना होगा। ये सभी चीजें सरकार को आतिशीघ्र लागू करने की आवश्यकता है। सातवें वेतन आयोग को सरकार ने अपनी स्वीकति दे दी है उससे कम से कम एक लाख करोड़ रूपयों का बोझ सरकारी खजाने पर हमेशा के लिए पड़ने वाला है।

22.11.2016

इस देश के अन्नदाता किसान को इस निर्णय से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इसलिए सरकार को आरक्षण का ऐतिहासिक निर्णय लेने की आज नितांत आवश्यकता है।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी सीटों पर वापस जाएं।

… (*व्यवधान*)

[हिंदी]

माननीय अध्यक्ष: ऐसा क्यों कर रहे हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब उसका निर्णय हो गया।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: हर कोई नहीं बोलेगा।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी; मुझे खेद है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी सीटों पर वापस जाएं।

... (व्यवधान)

[हिंदी]

माननीय अध्यक्ष : आप ज़ीरो आवर भी नहीं चाहेंगे।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है।

… (*व्यवधान*)

22.11.2016

माननीय अध्यक्ष: सभा कल 23 नवम्बर, 2016 के पूर्वाह्न 11 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

<u>अपराह्न 12.15 बजे</u>

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 23 नवम्बर 2016 / 2 अग्रहायण, 1938 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

22.11.2016

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं*:*

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

22.11.2016

© 2016 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित